

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 27597 वर्ष 2026**

मुकेश शर्मा

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : मिथिलेश कुमार शुक्ला

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65**माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन**

1. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए श्री कुंवर तेजेंद्र बहादुर की बात सुनी।
2. यह आवेदन निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई के दौरान, धारा 69, 352 बीएनएस के तहत फिरोजाबाद जिले के दक्षिण पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 615/2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह स्वीकार किया जाता है कि मामले की पीड़िता विवाहित महिला थी और आवेदक के खिलाफ विवाह के झूठे वादे के तहत पीड़िता के यौन शोषण का आरोप प्रथम दृष्टया झूठा प्रतीत होता है।
4. उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर के साथ-साथ बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान से भी प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि वह सहमति देने वाली पक्ष थी।
5. उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक और पीड़ित दोनों वयस्क हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया आवेदक के खिलाफ आरोप झूठा प्रतीत होता है।
6. उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का दो अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है, जिनमें से एक मामला धारा 74 बीएनएसएस (354 आईपीसी) से संबंधित है, लेकिन उस मामले में वह अग्रिम जमानत पर है।
7. उन्होंने आगे बताया कि आवेदक इस मामले में 13.06.2026 से जेल में है।
8. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
9. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और मामले के अभिलेखों का अध्ययन किया।
10. हालांकि, आरोप के अनुसार, आवेदक ने विवाह के झूठे वादे के तहत पीड़िता का यौन शोषण किया, लेकिन पीड़िता ने स्वीकार किया कि वह विवाहित और बालिग महिला थी, और पीड़िता द्वारा स्वयं दर्ज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कराई गई एफआईआर और जांच के दौरान दर्ज किए गए उसके बयानों से भी, प्रथम दृष्टया, यह मामला सहमति से बने संबंध का प्रतीत होता है।

11. इसके अलावा, वर्तमान मामले के अलावा, आवेदक का दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें धारा 74 बीएनएसएस (354 आईपीसी) से संबंधित एक मामला भी शामिल है, लेकिन इस मामले में वह अग्रिम जमानत पर है।

12. इसके अलावा, वर्तमान मामले में आवेदक 13.06.2026 से जेल में है।

13. अतः, ऊपर वर्णित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

15. आवेदक- **मुकेश शर्मा** को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Judgment. Not for Legal Use.